



2026:AHC:125515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5542 वर्ष 2026

नितेश

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: आलोक कुमार सिंह

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से उत्तर प्रदेश असामाजिक गतिविधियों की (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 1241 वर्ष 2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है। यह प्रकरण इंदिरामपुरम थाना, जिला गाजीपुर का है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि गैंग चार्ट के अनुसार, आवेदक एक आपराधिक प्रकरण में संलिप्त बताया गया है जिसमें उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और इसकी प्रतियां आवेदन के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न हैं। गैंग चार्ट में उल्लिखित प्रकरण के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार किए जाने का डर है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर अंतिम रूप से यह निर्णय दिया है कि अग्रिम जमानत की अवधि अनिवार्य रूप से सीमित नहीं होती। उपयुक्त प्रकरण में, यह मुकदमे की समाप्ति तक जारी रह सकती है। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत, आरोपी के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी मुकदमे तक जारी रह सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने (जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है), न्याय से भागने (जैसे देश छोड़कर भाग जाना) आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालय को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।

6. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह आवेदक को मुकदमे की सुनवाई तक अग्रिम जमानत देने का एक उपयुक्त प्रकरण है।

7. तदनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- नितेश को आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, और संबंधित न्यायालय



की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती सहित व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, और उसे मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक प्रकरण में निर्धारित तिथि पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा/होगी तथा विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा/करेगी।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करना होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार बन सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

4 जून, 2026

एस.के.